

बन्दोबस्त कार्यालय किशनगंज

(विशेष भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त)

किस्तवार शिविर दल का गठन आदेश

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-188, दिनांक 3.02.2015 के आलोक में जिला गजट असाधारण अंक संख्या-133, दिनांक 13.05.2016 में प्रकाशित उद्घोषणा संख्या-90, दिनांक 19.05.2016 में निहित किशनगंज-अंचल के निम्नांकित राजस्व ग्रामों का किस्तवार कार्य करने हेतु दल का गठन करते हुये निम्नांकित आदेश दिया जाता है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम एवं थाना नं०	पंचायत का नाम	अमीन का नाम	परिमाप निरीक्षक का नाम	कानूनगो का नाम	शिविर प्रभारी का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	काठमोहन-10	मोतीहारा तालुका	मो० मुस्लिम	नीरज कुमार	श्री अमर कुमार शर्मा	श्री बिनोद कुमार	हवाई फोटो ग्राफी एजेन्सी आई० आई० सी० टेक्नोलॉजी हैदराबाद।
2	छगलिया-9	बेलवा	अफताब आलम	नीरज कुमार	नकुल कुमार		
3	मोतीहारा तालुका-11	मोतीहारा तालुका	सुखलाल महतो	नीरज कुमार	नकुल कुमार		
4	लखीमारो-62	महीनगाँव	हरेराम शर्मा	नीरज कुमार	नकुल कुमार		

- सभी प्रतिनियुक्त कर्मी शिविर प्रभारी के नियंत्रण तथा कानूनगो के नेतृत्व में कार्य करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त शिविर प्रभारी के कार्य का समय-समय पर पर्यवेक्षण करेंगे।
- किस्तवार प्रारम्भ करने के पूर्व ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। जिसमें जनप्रतिनिधि/रैयतों को जानकारी एवं भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
- शिविर का संचालन सार्वजनिक भवन/संस्थान में किया जायेगा।
- किस्तवार का कार्य बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली तथा विभागीय निर्देश पत्रांक 725 दिनांक 28.04.2018 एवं 1616 दिनांक 15.09.2016 के आलोक में नियमानुसार किया जायेगा।
- निदेशालय से प्राप्त किस्तवार कार्य का निर्देशिका ज्ञापांक 933 दिनांक 20.06.2018 का अनुशरण अनिवार्य है।
- रैयतों के बीच स्वघोषणा पत्र का वितरण एवं प्राप्ति का दायित्व शिविर प्रभारी की होगी।
- क्यारियों की पहचान करते हुये प्रत्येक भूखण्डों का विशिष्ट पहचान नम्बर अंकित किया जाना है।
- वस्ती-एरिया को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जायेगा जिसे हवाई फोटोग्राफी एजेन्सी द्वारा अलग मानचित्र आवश्यकतानुसार तैयार की जायेगी।
- पूर्ण रूप से संशोधित नक्शा ग्राम पंचायत के कार्यालय तथा शिविर कार्यालय के सूचना पट्ट पर उपदर्शित रहेगा।
- हवाई फोटोग्राफी एजेन्सी पर्याप्त सभी मशीन के साथ जानकार तकनीकी दल का गठन कर दल के साथ टैग करेंगे तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करायेगे।
- लोकभूमि/सरकारी भूमि की पहचान तथा सीमांकन निश्चित रूप से की जायेगी।
- शिविर प्रभारी किये गये कार्यों की दैनिक समीक्षा करेंगे एवं प्रत्येक शुक्रवार को साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन कार्यालय को समर्पित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी
किशनगंज।

ज्ञापांक 293 दिनांक 11.8.18

- प्रतिलिपि:- निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय सांसद/विधान पार्श्व/विधायक किशनगंज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक किशनगंज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता किशनगंज/प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु०) किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदा० किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि आदेश की प्रति को जिला वेबसाईट पर

प्रकाशित करेंगे।

- 8.प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- 9.प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी/प्रोवि0पदा0/ थानाध्यक्ष जिला किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
निदेशित किया जाता है कि सर्वेक्षण दल को आवश्यक सहयोग/सुरक्षा प्रदान करेंगे।
- 10.प्रतिलिपि:- श्री वाई0 वेणु गोपाल राव सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बिहार री-सर्वे प्रोजेक्ट (प्रभारी बिहार) आई0आई0 सी0 टेक्नोलॉजी हैदराबाद शिविर पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित। अविलम्ब अपने प्रतिनिधि सहित तकनीकी दल को सर्वेक्षण दल के साथ टैग करने का निर्देश दिया जाता है।
- 11.प्रतिलिपि:- शिविर प्रभारी/कानूनगो/ संविदा अमीन/उजरत भोगी अमीन को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 12.प्रतिलिपि:- सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि/भूधारी/रैयतों/संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

M/S
8/8/18

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी
किशनगंज।